विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

कार्यपालिका नियमावली तथा सचिवालय मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी विषय पर निर्णय हेतु उस विषय के संबंध में नियमों और परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए संचिका प्रशाखा में आरम्भ की जाती है तथा सामान्यतः दो या तीन स्तरों (प्रशाखा पदाधिकारी; अवर सचिव/ उप सचिव; संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव) के माध्यम से होकर विभाग के प्रधान (सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव) के पास निर्णय के लिए उपस्थापित की जाती है। तदुपारान्त प्रावधानों के अनुसार कुछ संचिकाएँ, माननीय विभागीय मंत्री तथा कुछ माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी निर्णय हेतु उपस्थापित की जाती हैं। कुछ विषय निर्णय हेतु मंत्री परिषद को भेजे जाते हैं।